

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 377 / 2013
संस्थित दिनांक- 09.09.2008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रु द्ध

साहिद खान पिता नुरु खान,
आयु-43 वर्ष, व्यवसाय-ड्रायव्हर,
निवासी-ग्राम पिपरी, तहसील ठीकरी,
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी

.....आरोपी

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 26/03/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 142/08 के आधार पर दिनांक 25.05.08 को दिन में लगभग 12:15 बजे नायदड़ रोड़ ठीकरी में लोकमार्ग पर वाहन टाटा 609 क्रमांक एम.पी.10/ए/1829 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटी खिला दिया, जिससे उसमें बैठे यात्री भारत, रामकुंवरबाई, काशीराम, और परसराम का जीवन संकटापन्न कर उन्हें घोर उपहति कारित करने तथा यात्री बाबूलाल, डोंगर, मुकेश, बुधिया, लालू, आभा, कड़वा, नानूराम, रंछोड़, सखाराम, दुर्गा, लीलाबाई, लक्ष्मीबाई, साबिर, शेख मोहम्मद, लक्ष्मण, दित्या, लक्ष्मण पिता पुनिया, पिकी, दिनेश, द्वारकीबाई, हीरा, सीताराम, गोपाल और अर्जुन को का जीवन संकटापन्न कर उन्हें उपहति कारित करने तथा उस वाहन में बैठे फाटाजी पिता कुतरिया की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती हैं, के लिये भा.द.सं. की धारा-279, 337, 338 एवं धारा-304(ए) का अभियोग है ।

2. प्रकरण में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.08 को फरियादी मुकेश पिता देवीराम धनगर टाटा 609 वाहन क्रमांक एम.पी.10/ए/1829 में 32 अन्य व्यक्तियों के साथ बैठकर नुक्ता कार्यक्रम से वापस आ रहा था, दिन के लगभग 12:15 बजे उक्त वाहन के चालक ने वाहन को तेज गति से चलाकर नायदड़ रोड़ ठीकरी पर पलटी खिला दिया, जिससे उसे और वाहन में बैठे अन्य व्यक्तियों को चोट आई, सभी यात्रियों को

ठीकरी अस्पताल छोड़ने के बाद वह घटना की रिपोर्ट करने गया था । मुकेश की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 142/08 दर्ज कर आहत साक्षियों का मेडिकल-परीक्षण कराया गया, ईलाज के दौरान फाटा पिता कुतरिया धनगर की मृत्यु हो गयी । घटनास्थल से उक्त वाहन जप्त कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा. द.सं. की धारा-279, 337, 338 एवं 304(ए) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.08.09 को दिन में लगभग 12:15 बजे नायदड़ रोड़ ठीकरी में लोकमार्ग पर वाहन टाटा 609 कमांक एम.पी.10/ए/1829 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर उसमें बैठे यात्रियों का जीवन संकटापन्न किया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन वाहन टाटा 609 कमांक एम.पी.10/ए/1829 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर उसमें सवार भारत, रामकुंवरबाई, काशीराम और परसराम को घोर उपहति कारित की ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन वाहन टाटा 609 कमांक एम.पी.10/ए/1829 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर उसमें सवार बाबूलाल, डोंगर, मुकेश, बुधिया, लालू, आभा, कड़वा, नानूराम, रंछोड़, सखाराम, दुर्गा, लीलाबाई, लक्ष्मीबाई, साबिर, शेख मोहम्मद, लक्ष्मण, दित्या, लक्ष्मण पिता पुनिया, पिंकी, दिनेश, द्वारकीबाई, हीरा, सीताराम, गोपाल और अर्जुन को उपहतियां कारित की ?
4	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन टाटा 609 कमांक एम.पी.10/ए/1829 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मृतक फाटा पिता कुतरिया की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?
5	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी मुकेश (अ.सा.1), लालू (अ.सा.2), नानूराम (अ.सा.3), रंछोड़ (अ.सा.4), बुधिया (अ.सा.5), भीला (अ.सा.6), आगा (अ.सा.7), बाबूलाल (अ.सा.8), भारत (अ.सा.9), कड़वा (अ.सा.10), अरविंद उपाध्याय (अ.सा.11), डॉ. अनिता सिंगारे (अ.सा.12), सखाराम (अ.सा.13), दुर्गाबाई (अ.सा.14), रामकौर (अ.सा.15), सैयद साबिर अली (अ.सा.16), काशीराम (अ.सा.17), परसराम (अ.सा.18), लक्ष्मण (अ.सा.19), अशोक वर्मा (अ.सा.20), हीरा (अ.सा.21), दितिया (अ.सा.22), द्वारकीबाई (अ.सा.23) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी मुकेश (अ.सा.1) का कथन है कि तीन साल पहले घटना के दिन वह अपने ससुर बाबूलाल के साथ ग्राम डामरी गोविंद धनगर के यहां नुक्ता कार्यक्रम में गया था, वहां से वापसी में वह अपने ससुर तथा अन्य 15-20 व्यक्तियों के साथ आयशर में बैठकर ठीकरी जा रहा था । उसे आयशर का नंबर याद नहीं है । ठीकरी से करीब एक किलोमीटर दूर नायदड़ रोड़ पर आयशर वाहन पलटी खा गया था । वाहन का चालक वाहन को सामान्य गति से चला रहा था । रोड़ पर अचानक वाहन पलटी खा गया था । (साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के संबंध में उसके द्वारा वाहन नहीं चलाना कहा) उसे दोनों पैरों तथा शरीर के अन्य भागों में चोटे आई थीं । उसके बाद वे लोग अस्पताल गये थे । वहां से थाना रिपोर्ट करने गया था । रिपोर्ट प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.2 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने घटनास्थल से वाहन जप्त किया था । जप्ती पंचनामा प्र.पी.3 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । घटना में अन्य व्यक्तियों को भी चोटे आई थीं तथा एक अन्य व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी ।

8. अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट में वाहन का नंबर टाटा 609 एम.पी.10/ए/1829 लिखाया था और अपने कथन में वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाने की बात बतायी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उपस्थित अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन चला रहा था । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि वह अभियुक्त को पहचानता है, इस कारण से उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि घटना के समय गाड़ी धीरे चल रही थी । उसने पुलिस को वाहन की गति के बारे में नहीं बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने की बात नहीं बतायी थी, लेकिन पुलिस ने कैसे लिखी वह उसका कारण नहीं बता सकता है ।

9. साक्षीगण लालू (अ.सा.2), नानूराम (अ.सा.3) रंछोड़ (अ.सा.4), बुधिया (अ.सा.5), आगा (अ.सा.7), बाबूलाल (अ.सा.8), भारत (अ.सा.9), कड़वा (अ.सा.10), सखाराम (अ.सा.13), दुर्गाबाई (अ.सा.14), रामकौरबाई (अ.सा.15), सैयद साबिर अली (अ.सा.16), काशीराम (अ.सा.17), परसराम (अ.सा.18), लक्ष्मण (अ.सा.19), हीरा (अ.सा.21), दितिया (अ.सा.22) एवं द्वारकीबाई (अ.सा.23) ने भी आयशर वाहन में बैठकर जाने और

उक्त वाहन की दुर्घटना में उन्हें चोटे आने के संबंध में कथन किये गये हैं । साक्षी लालू (अ.सा.2), नानूराम (अ.सा.3) तथा रंछोड़ (अ.सा.4) के कथन हैं कि आयशर का नंबर उन्हें मालूम नहीं है और वाहन कौन चला रहा था, उन्होंने नहीं देखा था । साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अपने पुलिस कथनों में वाहन का नंबर और वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने की बात बताने से स्पष्ट इन्कार किया है । साक्षियों ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त उक्त वाहन को चला रहा था ।

10. साक्षी बुधिया (अ.सा.5) का कथन है कि वाहन के चालक ने वाहन को तेजी से चलाया होगा, इसलिए वाहन पलट गया । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अचानक घटना होने के कारण उसे जानकारी नहीं है कि वाहन धीरे चल रहा था या तेज गति से चल रहा था । साक्षी बाबूलाल (अ.सा.8) ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.8 का कथन देते समय वाहन का नंबर एम.पी.10/ए/1829 बताया था तथा वाहन के चालक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण वाहन पलटी खा गया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि आयशर वाहन में वह पीछे बैठा था और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को आगे का दिखायी नहीं देता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने वाहन का नंबर मुख्य-परीक्षण में शासकीय अधिवक्ता द्वारा पढ़कर सुनाने पर स्वीकार किया गया है । साक्षी भारत (अ.सा.9), सखाराम (अ.सा.13), दुर्गाबाई (अ.सा.14), रामकौरबाई (अ.सा.15) ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उन्होंने पुलिस को अपने कथन में वाहन का नंबर बताया था तथा अभियुक्त ही उक्त वाहन को चला रहा था ।

11. साक्षी भीला (अ.सा.6) का कथन है कि भोला की मेटाडोर वाहन पलटने से मृत्यु हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार में वह सम्मिलित हुआ था ।

12. साक्षी डॉ. अनिता सिंगारे (अ.सा.12) का कथन है कि दिनांक 25.05.08 को उसने जिला चिकित्सालय बड़वानी में बाबूलाल पिता रुखडूजी, परसराम पिता गोकुल, डोंगर पिता यादव, मुकेश पिता देवीराम, बुधिया पिता बोखार, लालू पिता रसूल, आभा पिता रामा, कड़वा पिता गोपाल, नानूराम पिता गणपत, भारत पिता हरि, रंछोड़ पिता गणस्या, सखाराम पिता नानूराम, दुर्गाबाई पति हुकुमचंद, रामकुंवरबाई पति ठाकुरलाल, लक्ष्मी पति शिवराम, साबिर पिता अकबर, शेख मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद, लक्ष्मण पिता मांगीलाल, भीकिया पिता सुकिया, लक्ष्मण पिता पुनिया, फाटा पिता कुतरिया, काशीराम पिता मांगीलाल, पिकी पति सोहन, दिनेश पिता रामचंद्र, द्वारकीबाई पति सखाराम, हीरा पिता बंगा, सीताराम पिता करसन, गोपाल पिता कुतरिया एवं अर्जुन पिता टुटला, हिरदाराम पिता ठाकुर, जितेन्द्र पिता हिरदाराम, भागीरथ पिता मंशाराम एवं मगन पिता बुधाजी का मेडिकल परीक्षण किया था तथा उक्त आहत साक्षियों को प्र.पी.11 लगायत प्र.पी.44 में दर्शित चोटे होना पायी थीं, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी द्वारा प्र.पी.11 लगायत प्र.पी.44 के परीक्षण प्रतिवेदन को प्रमाणित किया है ।

13. साक्षी अरविंद उपाध्याय (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 08.07.08 को उसने अधिवक्ता राजेश गुप्ता द्वारा जाने पर बुधिया पिता बोखार धनगर का शपथ-पत्र तस्दीक किया था, उसने अपने शपथ-पत्र दिनांक 25.05.08 ठीकरी थाना क्षेत्र में हुई वाहन दुर्घटना में अपने भाई कोला पिता बोथा को चोट आने के संबंध में

शपथ—पत्र तस्दीक कराया था । शपथ—पत्र प्र.पी.10 का है, जिसके ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

14. साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.20) का कथन है कि उसकी रितुराज ऑटो गैरेज के नाम से थाना ठीकरी के सामने चार पहिया, दुपहिया वाहनों का गैरेज है, दिनांक 27.05.08 को उसने थाना ठीकरी के अपराध में जप्त वाहन टाटा क्रमांक एम.पी. 10/ए/1829 का यांत्रिकीय परीक्षण किया था, उक्त वाहन में पार्ट्स दुर्घटना के पश्चात् खराब थे, शेष कोई खराबी नहीं थी । साक्षी ने उसके यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 45 भी प्रमाणित किया है ।

15. अभियोजन द्वारा उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा प्रकरण अत्यंत पुराना होने और साक्षियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण साक्ष्य समाप्त की गयी है । किसी भी साक्षी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन टाटा 609 क्रमांक एम.पी. 10/ए/1829 को उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाकर उनका जीवन संकटापन्न करने तथा उन्हें चोटे कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है, अभियुक्त की पहचान घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता है ।

16. उक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक 25.05.08 को वाहन टाटा 609 क्रमांक एम.पी.10/ए/1829 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर उसमें सवार व्यक्तियों का जीवन संकटापन्न कर उन्हें घोर उपहति कारित की गयी थी तथा मृतक फाटा की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती हैं ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

17. उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना मामला संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध पूर्णतः प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त साहिद खान पिता नुरु खान, आयु-43 वर्ष, व्यवसाय-झायव्हीरी, निवासी-ग्राम पिपरी, तहसील ठीकरी, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-279, 337, 338 एवं धारा-304(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

18. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

19. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

20. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन टाटा 609 क्रमांक एम.पी. 10/ए/1829 पूर्व से सुपर्दगी पर है, सुपर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.